

972/09  
24.4.09

पंजीयन क्रमांक 972/09  
दिनांक 24-4-2009  
डिस्ट्रिक्ट नं. 2189  
दिनांक 27-4-09

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

## पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर

श्री श्री गुलाब भारती गोशाला

ग्राम पोस्ट परेऊ तहसील बायतु

जिला बाडमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री श्री कार भारती, पुत्र न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री श्री गुलाब भारती गोशाला, परेऊ ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के

पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा

आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के

अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक 20 बीस माह अप्रैल वर्ष 2009



उपनिदेशक (रजिस्ट्रार) एवं उपनिदेशक  
गोशाला राजस्थान, जयपुर  
24-4-09  
श्री गुलाब भारती गोशाला  
परेऊ तहसील (बायतु)



# राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : ०५९ / वा.सं.र/२००९/२००९

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुलाब आरवी

श्रीधर संस्थान, बाड़मेर

जिला बाड़मेर का राजस्थान संस्था राजिस्ट्रीकरण

अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम संख्या २१, १९५८) के अन्तर्गत

राजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय बाड़मेर से आज

दिनांक ०२३ माह जुलाई सन् दो हजार आठ

को बाड़मेर में दिया गया।



(*Signature*)  
(**दाशरथ जीरवी**)

राजिस्ट्रार संस्थाएं, बाड़मेर

*Signature*

जन्मदाता ऑफसेट, बाड़मेर 239592

श्री गुलाब आरवी के पास  
(बाड़मेर)